www.cbi.gov.in

केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो
(सूचना अनुभाग),
5-बी, सी.जी.ओ. कॉम्प्लैक्स,
लोधी रोड, नई दिल्ली-110003

प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक, 23.06.2017

सीबीआई ने घोखाधड़ी के आरोप पर ओडिशा ओलम्पिक एसोशिएशन के तत्कालीन सचिव एवं अन्य कर्मियों के विरूद्ध मामला दर्ज किया एवं तलाशी की

सीबीआई ने ओडिशा ओलम्पिक एसोशिएशन, कटक के तत्कालीन सचिव ; कटक स्थित प्राइवेट फर्म (इसके साझीदार द्वारा प्रतिनिधित्व-प्राप्त) तथा ओडिशा ओलम्पिक एसोशिएशन के अज्ञात कर्मियों और अन्य अज्ञातों के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 120-बी के साथ पठित धारा 420 के तहत मामला दर्ज किया। यह मामला महासचिव (अपीलकर्ता) के माध्यम से ओडिशा ओलम्पिक एसोशिएशन बनाम ओडिशा राज्य एवं ए.एन.आर. (प्रतिवादी) के मध्य वर्ष 2014 की विशेष अनुमति याचिका (सिविल) संख्या 34373 के कारण उत्पन्न स्थिति पर वर्ष 2016 की सिविल अपील संख्या 6450 में दिनांक 03.04.2017 में दिए गए माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर अन्य मामलों के साथ-साथ आरोपी व्यक्तियों द्वारा राज्य सरकार की भूमि पर अनाधिकृत निर्माण (23 दुकान व मंडप) को करने एवं अपने लिए राजस्व बनाने के आरोपों पर है।

कटक स्थित आरोपी के कार्यालय एवं आवासीय परिसरों में आज तलाशी की गई जिसमें मामले से सम्बन्धित आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद हुए।

आगे की जॉच जारी है।

****